तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
3–3–2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक प्रार्थीगण श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1– हस्तगत् निगरानी याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा–230 के अंतर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थी वादीगण ने एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा के समक्ष अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय धारा 212 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सहायक कलेक्टर बिलाडा ने दोनों पक्षों को सुन कर निर्णय दिनांक 22–7–04 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार करते हुये प्रतिवादीगण प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर के समक्ष पेश की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने निर्णय दिनांक 27–11–04 द्वारा खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में पेश की गई है। 3– विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकोर्ड के विपरीत है। विवादित आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की भूमि है। विवादित आराजी का आजदिनांक तक कभी बंटवारा नहीं हुआ और न ही अप्रार्थीगण का इस भूमि में कोई हक हिस्सा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार भी विवादित आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। वादीगण द्वारा अन्य भूमियों को वाद में शामिल नहीं किया। आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 6 द्वारा संयुक्त रूप से क्रय की गई थी। खसरा नंबर 94 व खसरा नंबर 900/97 दिनांक 19–5–1959 को प्रार्थीगण द्वारा क्रय की गई। प्रार्थीगण की स्वअर्जित आराजी का	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	बंटवारा करवाने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। दावा चलने योग्य नहीं होने से धारा 212 के तहत कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती थी। रिकार्डेड खातेदार को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता। किंतु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उक्त समस्त तथ्यों को दरकिनार करते हुये विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण का कब्जाकाश्त होना मानकर प्रार्थीगण को निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अप्रार्थीगण के स्थगन प्रार्थना पत्र का समर्थन करने में स्पष्ट त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जावें। 4— उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी पक्षकारान के पिता द्वारा अपने पुत्रों के नाम क्रय की गई। 1967 में उक्त भूमि का परस्पर बंटवारा भी किया गया। बंटवारे की लिखत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। लिखत पक्षकारान के पिता की है। उसके आधार पर ही जुलाई 1992 में दस रूपये के स्टांप पर बंटवारा लिखा गया और इसे सभी भाईयों द्वारा स्वीकार किया गया। अप्रार्थीगण के हिस्से की खातेदारी की भूमि में प्रार्थीगण उनके कब्जेकाश्त में मजाहमत पैदा करते हैं। यदि किसी सहखातेदार के कब्जे की आराजी के कब्जेकाश्त में कोई हस्तक्षेप करता है तो उसे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में क्षेत्राधिकार सम्बन्धी अथवा विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप किया जा सके। 5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 6— पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वादीगण अप्रार्थीगण द्वारा परीक्षण न्यायालय सहायक कलेक्टर बिलाडा के समक्ष एक राजस्व वाद मय अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया जिसे विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार किये जाने के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर द्वारा खारिज किये जाने से व्यथित होकर यह निगरानी पेश की गई है। विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22—7—04 से वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी सं. 1 व 3 को प्रार्थीगण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	के बंट व हिस्से में आई भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने एवं न ही प्रार्थीगण को काश्त करने से रोकने तथा न ही वादग्रस्त भूमि किसी अन्य को हस्तांतरित करने से पाबंद किया गया है। अपीलीय न्यायालय ने विवादित आराजी पक्षकारान के पिता हाजी मुश्ताक द्वारा क्रय किया जाना माना है तथा इसी आराजीयात बाबत् पक्षकारान के पिता मुश्ताक जी की लिखत के आधार पर 1992 में बंटवारे होना मानते हुये प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन वादीगण अप्रार्थीगण के पक्ष में होना मानते हुये परीक्षण न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा का समर्थन किया है। सहायक कलेक्टर ने प्रार्थीगण (वर्तमान अप्रार्थीगण) का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार कर प्रार्थीगण प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबदं किया है। राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर ने अपने निर्णय दिनांक 27–11–04 के द्वारा समवर्ती निष्कर्ष व्यक्त किया है एवं सहायक कलेक्टर बिलाडा के आदेश दिनांक 22–7–04 को यथावत रखा है। न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आराजियात के सबंध में दिया गया अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश विधिसंगत है। हस्तगत् प्रकरण में प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य साबित करने में विफल रहे हैं, जिससे प्रकरण में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जा सके। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत निगरानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आलोच्य निर्णयों में विधिक या तथ्यपरक ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप अपेक्षित हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। 7– परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। उभय पक्ष को निर्णय की सूचना जरिये कम्प्यूटर दी जाकर अधनीस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय प्रति के साथ भिजवाया जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	